फर्द अहकाम

अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर

बिलाल बनाम लो.सू.अधि0 जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 50 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
26.08.2025	प्रार्थी / अपीलान्ट बिलाल पुत्र इरफान निवासी कॉधला देहात नयी बस्ती कॉधला रूरल शामली, उत्तरप्रदेश द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत **जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर के** विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्रस्तुत अपील एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया कि चाही गई सूचना जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर से संबंधित होने के कारण **पूर्व में प्रार्थी का आरटीआई प्रा0 पत्र** प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलै0 भरतपुर द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत मूल प्रार्थना पत्र कार्यालय के पत्रांक सामान्य / आरटीआई / (101) / 2025 / 4772 दिनांक 17.07.25 से जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को भेजा गया था। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर से संबंधित है। जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को नहीं है। ऐसी स्थिति में मूल अपील वापस लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	794 8/9/25